न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/16

1. महावीर पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा आयु 47 वर्ष ।
2. रामगोप उर्फ रामगोपाल पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा आयु 43 वर्ष ।
3. बजरंग लाल पुत्र सांवला जाति मीणा उम्र 65 वर्ष साकिन ग्राम फरेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामजानकी बाई उर्फ किशना बाई पुत्री रघुवीर जाति मीणा निवासनी खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा हाल निवास ग्राम जलालपुरा तहसील व जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री मुकेश मीणा, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फरेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खाता संख्या 41 में खसरा नम्बर 23 रकबा 1.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 25 रकबा 1.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 331 रकबा 0.76 हैक्टर कुल खसरा संख्या 03 कुल रकबा 3.24 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि श्री प्रभूलाल पुत्र सांवला जाति मीना निवासी फरेरा की खातेदारी में दर्ज है । श्री प्रभूलाल का दिनांक 10.04.2013 को देहावसान हो चुका है । स्व0 प्रभूलाल के केवल एक पुत्र रघुवीर था जिसकी मृत्यु प्रभूलाल के जीवनकाल में हो गई थी । प्रभूलाल के वादीगण भतीजे व प्रतिवादी कम 1 भाई होकर स्व0 प्रभूलाल के वारिस हैं । वादीगण को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से की भूमि पर स्वयं का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज करावे ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में से वादीगण को 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर

राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं अथवा जरिये प्रतिनिधि विवादित भूमि में वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2018 के द्वारा वादी का वाद डिक्री करते हुए वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 को संभाग 1/2 – 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने का आदेश पारित किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के खिलाफ रेस्पोडेन्ट कम 1 रामजानकी बाई ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की । न्यायालय राजस्व- अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 26.09.2018 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित आदेश की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2018 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी कम 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 12.12.2018 से व्यथित होकर वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार प्रभूलाल वल्द सांवला जी मीणा थे और उनके एक मात्र पुत्र रघुवीर था जिसकी मृत्यु प्रभूलाल जी के जीवनकाल में हो गई । प्रभूलाल जी ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई वसीयत किसी के पक्ष में निष्पादित नहीं की और बिना वसीयत किये उनका देहावसान हो जाने से प्रभूलाल के भाई बद्रीलाल व बजरंग लाल बतौर मालिक व स्वामी काबिज हुए। रेस्पोडेन्ट कम 1 रामजानकी प्रभूलाल के जीवनकाल में ही गॉव छोडकर चली गई थी । इसलिए प्रभूलाल जी की उक्त आराजी पर बतौर मालिक व स्वामी बजरंग लाल व बद्रीलाल काबिज हुए । लम्बे समय से निरन्तर कब्जा चले आने से कब्जे के आधार पर उक्त भूमि को अपीलान्ट कम 1 व 2 जो कि बद्रीलाल के पुत्र हैं वह 1/2 के हकदार हैं तथा अपीलान्ट कम 3 बजरंग लाल जो कि प्रभूलाल का भाई है वह भी 1/2 हिस्से का हकदार है । रेस्पोडेन्ट कम 1 का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । रेस्पोडेन्ट कम 1 स्वयं को मृतक रघुवीर पुत्र प्रभूलाल की पुत्री बताकर आई है और उसके द्वारा एक फर्जी कूटरचित एवं जाली वसीयत प्रभूलाल के नाम से तैयार करवायी है । रेस्पोडेन्ट कम 1 न तो उक्त गॉव में निवास करती है और न ही प्रभूलाल के जीवनकाल में या उनके स्वर्गवास के उपरान्त उसने भूमि में कभी कोई काश्त की है । अपीलान्टगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।
8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट का दावा खारिज करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त

आराजी के खातेदार प्रभूलाल वल्द सांवला जी मीणा थे और उनके एक मात्र पुत्र रघुवीर था जिसकी मृत्यु प्रभूलाल जी के जीवनकाल में हो गई । प्रभूलाल जी ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई वसीयत किसी के पक्ष में निष्पादित नहीं की और बिना वसीयत किये उनका देहावसान हो जाने से प्रभूलाल के भाई बद्रीलाल व बजरंग लाल बतौर मालिक व स्वामी काबिज हुए रेस्पोडेन्ट कम 1 रामजानकी प्रभूलाल के जीवनकाल में ही गॉव छोडकर चली गई थी । इसलिए प्रभूलाल जी की उक्त आराजी पर बतौर मालिक व स्वामी बजरंग लाल व बद्रीलाल काबिज हुए । लम्बे समय से निरन्तर कब्जा चले आने से कब्जे के आधार पर उक्त भूमि को अपीलान्ट कम 1 व 2 जो कि बद्रीलाल के पुत्र हैं वह 1/2 के हकदार हैं तथा अपीलान्ट कम 3 बजरंग लाल जो कि प्रभूलाल का भाई है वह भी 1/2 हिस्से का हकदार है । रेस्पोडेन्ट कम 1 का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । रेस्पोडेन्ट कम 1 स्वयं को मृतक रघुवीर पुत्र प्रभूलाल की पुत्री बताकर आई है और उसके द्वारा एक फर्जी कूटरचित एवं जाली वसीयत प्रभूलाल के नाम से तैयार करवायी है । रेस्पोडेन्ट कम 1 न तो उक्त गॉव में निवास करती है और न ही प्रभूलाल के जीवनकाल में या उनके स्वर्गवास के उपरान्त उसने भूमि में कभी कोई काश्त की है । अपीलान्टगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत की जॉच नहीं की है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और न ही कोई नोटिस की तामील करवायी गई है । यदि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं थे तो उनका दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाना चाहिए था । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट प्रभूलाल की पौती है । प्रभूलाल ने उनके पक्ष में एक वसीयत का निष्पादन किया था । इस न्यायालय के द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड करते हुए निर्देशित कर दोनों पक्षों को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पाबन्द किया था । फिर भी जानबूझकर अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे इसके उपरान्त अधीनस्थ न्याालय ने नोटिस जारी किये और अपीलान्टगण की ओर से उनके अभिभाषक अण्डरटेकिंग पर उपस्थित हुए थे । आगामी तारीख पेशी 01.12.2018 को न तो अपीलान्ट स्वयं उपस्थित हुए और न ही उनके अभिभाषक उपस्थित हुए । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधि सम्मत है । रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने दावे को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2018 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 2007 (1) डब्ल्यूएलसी (राज0) पेज 354, एआईआर 2005 (एससी) पेज 4362, एआईआर 1995 (एससी) पेज 1684, 2012 (1) डीएनजे (राज0) पेज 546 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । इस न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.09.2018 द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था और उभय पक्षकारान को पाबन्द किया गया था कि वे दिनांक 31.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों । दिनांक 31.10.2018

को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में सम्मन जारी किये हैं जो पत्रावली पर संलग्न हैं । अपीलान्टगण को जारी सम्मन का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट महावीर को जारी सम्मन के पृष्ठ भाग में उनके भाई रामगोप का तामील किया जाना अंकित है और रामगोप को जारी सम्मन में स्वयं को तामील किया जाना अंकित है परन्तु सम्मन के पृष्ठ भाग पर रामगोप के जो हस्ताक्षर हैं वो अपील में उनके हस्ताक्षर से मेल नहीं रखा रहे हैं । महावीर का सम्मन उनके भाई को तामील किया जाना अंकित है वो भी सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार सही नहीं है क्योंकि भाई को परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता । तामील पर तहसीलदार का पृष्ठांकन भी अंकित नहीं है । इस प्रकार तामीलों को सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत नहीं माना जा सकता ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की ओर से जो शपथ पत्र पेश किये गये हैं उनकी ताईद भी न्यायालय में उपस्थिति होकर शपथग्रहिताओं ने नहीं की है, प्रदर्श नम्बर भी शपथ पत्र में अंकित कर दिये हैं जबकि दस्तावेजों को प्रदर्श शपथग्रहिता को न्यायालय में उपस्थित होकर पीठासीन अधिकारी के समक्ष करना होता है । जो दस्तावेज प्रदर्श किया जाना शपथ पत्र में अंकित है वो भी फोटो प्रतियॉ हैं और वसीयत भी असल अथवा प्रमाणित प्रति नही पेश की गई है वरन् फोटो प्रति है फिर भी प्रदर्श नम्बर अंकित किया गया है । मात्र शपथ पत्र में प्रदर्श नम्बर अंकित किये गये हैं । इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य विधि सम्मत नहीं है दस्तावेजों की फोटो प्रतियॉ हैं प्रमाणित प्रतियॉ पेश नहीं की गई हैं और इस पर प्रदर्श नम्बर भी न्यायालय के द्वारा अंकित नहीं किये गये हैं जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार असल अथवा प्रमाणित दस्तावेज पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रदर्श अंकित किया जाना आवश्यक होता है ।

12. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना निर्णय एंव डिक्री पारित की जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । यद्यपि अपीलान्टगण को इस न्यायालय द्वारा पाबन्द किया गया था फिर भी न्यायहित में उनको एक सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना हम उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूंप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 11 में किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली प्राप्ति के 02 माह के अन्दर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों । यदि अपीलान्ट उक्त दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया जावे ।

14. निर्णय आज दिनांक 18.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा